फ्लैक्स, होर्डिंग्स मुक्त होगा भिलाई शहर

भिलाईनगर। नगर निगम भिलाई द्वारा फ्लैक्स निर्माता एजेंसी को सूचित किया जाता है कि शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के उद्देश्य से शहर के ट्यूबलर पोल एवं विद्युत पोल में निगम के बिना अनुमति के फ्लैक्स/विज्ञापन बोर्ड नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु फ्लैक्स निर्माता एजेंसी को निर्देशित किया जाता है कि नगर निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत किसी भी ट्यूबलर पोल, विद्युत पोल एवं अवैध होर्डिंग्स में विज्ञापन बोर्ड या किसी भी प्रकार का बैनर आदि लगाये जाने पर सीधे एजेंसी के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी और अर्थदण्ड से दंडित करते हुए निगम से जारी अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जावेगी। सिर्फ शासकीय योजनाओं के होर्डिंग्स, फ्लैक्स लगाने के लिए संबंधित विभाग द्वारा आदेशित किया जावेगा।